(246)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 54/2012

प्रार्थीगणः–

1. अजीतसिंह

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. गोरधन वगैरह

उपस्थितिः–

1. श्री खंगारराम पटेल, विद्धान अभिभाषक वादी
2. श्री रामलाल भाटी, विद्धान अभिभाषक प्रति0

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी.

–ःआदेशः– दिनांक 19.02.2019

1. वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत दिनांक 16-–01–2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 22–12–2016 को पेशी पर उपस्थित होने पर यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 2/3 का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 2/3 की ओर से पत्रावली पर आदेश 22 नियम 10ए सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौखिक सूचना जो लोक अदालत में दी गई थी। इस कारण मृत्यु की जानकारी दिनांक 22–12–2016 को उक्त पत्रावली को पेशी पर अवलोकन करने से हुई। जिससे पूर्व प्रतिवादी संख 2/3 के देहान्त की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। विधिवत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इस कारण यह प्रार्थना पत्र दिनांक 22–12–2016 से अवधि मध्य पेश होना मान्य योग्य है। चूंकित मृत्यु की दिनांक ज्ञापित नहीं की गई है। मृतक प्रतिवादी के वैध प्रतिनिधि बाबत मृतक की पत्नी श्रीमती लीला देवी जीवित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। मृतक प्रतिवादी संख्या 2/3 के वैध प्रतिनिधि पत्नी श्रीमती लीला देवी का नाम रेकर्ड पर दर्ज कराने हेतु सम्मन बनाम कायममुकाम पेश किया जा रहा है। चूंकि उपरोक्त प्रतिवादी के वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/3 के देहान्त की तारीख प्रकट नहीं की गई है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश होने से वाद में एबेटमेंट का आदेश सेटेसाईज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 2/3 के वैध प्रतिनिधि को रेकर्ड पर लिये जाने व एबेटमेंट को सेटसाईज करने का आदेश पारित किया जावे तथा वाद में संशोधित वाद शीर्षक दोनों पक्षकारान की सूची सहित प्रस्तुत है जिसको रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रार्थना–पत्र सुनवाई तारीख को प्रस्तुत नहीं कर अन्य तारीख में प्रस्तुत किया गया था इस लिए प्रा0पत्र की नकल वकील प्रतिवादी को सुनवाई दिनांक 09–03–2017 दिलवाई गई। वकील वादी ने उक्त सुनवाई तारीख को निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा आदेश 22 नियम 10(ए) सी.पी.सी. की पालना नहीं की गई है इस पर वकील प्रतिवादी को पालना करने का निर्देश दिया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा आगामी सुनवाई तारीख 22–03–2017 को का0मु0 की सूचना प्रस्तुत की।

3. वकील वादी ने दिनांक 23-–03–2017 को प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2/3 (ब्रस्तीमल) की मृत्यु दिनांक 13–04-–2016 को होने की जानकारी विधिवत् दिनांक 22–03–2017 को वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रार्थना–पत्र वाद के एबेटमेंट

सहायक कलेक्टर

247

को सेट ए साईड किये जाने हेतु उक्त जानकारी की दिनांक 22–03–2017 से अवधि मध्य प्रस्तुत है। मृतक प्रतिवादी संख्या 2/3 के वैध प्रतिनिधिगण वाद के संशोधित कॉज टाईटल मे जोड़ कर संशोधित वाद शीर्षक पत्रावली पर लिये जाने हेतु संलग्न प्रस्तुत है। मृतक प्रतिवादी 2/3 के वैध प्रतिनिधिगण की तलबी हेतु सम्मन नियमानुसार तलबाना शुल्क सहित प्रस्तुत है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2/3 का देहांत हो चुका है। कायम मुकाम 60 दिन में नहीं लगाया गया प्रार्थना–पत्र उसके लिए है। आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी. के तहत प्रतिवादी को बताना था जो प्रतिवादी द्वारा सूचना नहीं दी गई। दिनांक 22–12–2016 को प्रतिवादी संख्या 2/3 के देहांत होने की जानकारी न्यायालय में उपस्थित होने पर हुई जिस पर दिनांक 16–01–2017 को न्यायालय में का.मु. हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी ने पत्रावली में लिखित में कोई सूचना नहीं दी। वादी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2/3 के का0मु0 को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने बहस के जवाब में निवेदन किया कि आदेश 22 नियम 10ए सी.पी.सी. के प्रावधान निर्देशात्मक है न कि आवश्यक है। कृपया एआईआर 1990 उड़िसा 94 का अवलोकन करावें। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/3 के का0मु0 को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु दो आवेदन प्रस्तुत किये। पहला प्रार्थना–पत्र दिनांक 16–01–2017 को तथा दूसरा प्रार्थना–पत्र दिनांक 22–03–2017 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 22–03–2017 को कह रहे है कि सूचना दी है लोक अदालत में दी। दिनांक 05–6–2016 और दिनांक 11–6–2016 को वादी लोक अदालत में नहीं आया। वादी ने दो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये है वादी का दावा एबेट हो चुका है। वादी द्वारा आदेश 22 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। कृपया आरएलडब्ल्यू 1987 पेज 492 का अवलोकन करावें जिसके अनुसार उपशमन के आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदक को पर्याप्त कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा जिस कारण वह विहित समय के अंदर आवेदन नहीं दे सका। प्रतिस्थापन करने हेतु दिया आवेदन–पत्र उपशमन को अपास्त करने का आवेदन समझा नहीं जा सकता। वादी द्वारा दिनांक 16–01–17 के आवेदन में लिखा है कि 22–12–16 को पेशी में मृत्यु का पता चला। मौखिक सूचना लोक अदालत में दी जबकि दिनांक 05–06–16 और 11–6–16 को लोक अदालत में कोई नहीं आया। दिनांक 22–03–17 के आवेदन पत्र में लिखा है कि दिनांक 22–03–17 को पता चला। दोनों कथनों में विरोधाभाष है। कृपया एआईआर 1990 पेज 94 का अवलोकन करावें। प्रतिवादी द्वारा आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी. के तहत सूचना दिये जाने के प्रावधान निर्देशात्मक है न कि आज्ञापक। अतः वादी द्वारा का0मु0 प्रार्थना–पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने एवं धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करने से खारिज फरमाया जावे। इस संबन्ध में 2012(3)डीएनजे (राज.) का अवलोकन करावें।

7. बहस प्रार्थना–पत्र विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा दिनांक 05–06–16 को आयोजित लोक अदालत के दौरान न्यायालय को सूचित किया गया था कि बस्तीराम का देहान्त हो चुका है। इसके पश्चात् दिनांक 11–06–16

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

को आयोजित लोक अदालत में भी वादी उपस्थित नहीं आये। इसके पश्चात् सुनवाई तारीख 10–08–16, 26–10–16 निर्धारित हुई थी जिसमें उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए अर्थात् वकील वादी उक्त तारीखों को न्यायालय में उपस्थित थे तब वादी का प्रार्थना–पत्र में वर्णित यह तथ्य स्वीकार्य नहीं होता है कि उन्हें दिनांक 22–12–16 को प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी हुई हो। दिनांक 22–12–16 की आदेशिका के अनुसार वादीगण का0मु0 प्रा0पत्र पेश करने हेतु अवसर लिया गया। वकील वादी द्वारा दिनांक 16–01–17 को आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। दिनांक 23–03–2017 को पुनः प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी. पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र विलम्ब की अवधि को उपशमन करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांत प्रकरण में लागू होते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा दिनांक 16–01–2017 तथा दिनांक 23–03–2017 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किये जाते है। वादी का वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी संख्या 2/3 के विरूद्ध वाद एबेट हो चुका है। ऐसी स्थिति में धारा 53 आर.टी.एक्ट, 1955 का दावा नहीं चल सकता। वाद वादी एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। डिकी परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 19.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner